पंचायत निगरानी सं0 04/2024 (2024/23)
05/2024 (2024/22)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 04/2024
जीसीएमएस सख्या – (2024/23)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

1. मोहनराम पुत्र लालाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. अणसी देवी पत्नी नखताराम जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. सरपंच, ग्राम पंचायत सोमेसर, पंचायत समिति, शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सोमेसर, पंचायत समिति, शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. उप पंजीयक, शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 29 जारी दिनांक 28.12.2010, मिसल संख्या 159/2010 दायर दिनांक 05.05.2010 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

पंचायत निगरानी सं.– 05/2024
जीसीएमएस सख्या – (2024/22)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

1. मोहनराम पुत्र लालाराम उम्र 50 वर्ष जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. नखताराम पुत्र रेवंताराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सोमेसर, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Choudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

2. सरपंच, ग्राम पंचायत सोमेसर, पंचायत समिति, शेरगढ, जिला जोधपुर।
3. ग्रामसेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत सोमेसर, पंचायत समिति, शेरगढ, जिला जोधपुर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. उप पंजीयक, शेरगढ, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 26 जारी दिनांक 28.12.2010, मिसल संख्या 156/2010 दायर दिनांक 05.05.2010 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री नाहर सिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्र सिंह (प्रार्थी पक्ष) उपस्थित।
2. अधिवक्ता मनोज प्रजापत (अप्रार्थी अणसी देवी व अप्रार्थी नखताराम की ओर से) उपस्थित।

–आदेश – **दिनांक : 28.03.2025**

1. उक्त दोनों निगरानियां पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टों को निरस्त करने हेतु पेश की गई है, जिसमें समान तथ्य व समान कानून व समान प्रकृति होने से, सुविधा व न्याय की दृष्टि से एक साथ संयोजित किया जाकर दोनों पक्षों की सहमति से एक साथ निस्तारित की जा रही है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।
2. निगरानी संख्या 05/2024 (2024/22) ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 156 दायरा दिनांक 05.05.2010 पट्टा संख्या 26, बुक संख्या 48, संकल्प संख्या 09 की पालना में दिनांक 28.12.2010 को अप्रार्थी नखताराम के पक्ष में 155.5 वर्ग गज का जारी पट्टा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को प्रार्थी मोहनराम द्वारा पेश की गई है।
3. निगरानी संख्या 04/2024 (2024/23) ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा मिसल संख्या 159 दायरा दिनांक 05.05.2010 पट्टा संख्या 29, बुक संख्या 42, संकल्प संख्या 09 की पालना में दिनांक 28.12.2010 को अप्रार्थी अणसी देवी के पक्ष में 155.5 वर्ग गज का जारी आवासीय पट्टे को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अणसी देवी व नखताराम की ओर से श्री मनोज प्रजापत, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

5. इस न्यायालय के पत्रांक दिनांक 12.04.2023 से उक्त दोनों प्रकरणों से संबंधित मिसल, पट्टा बुक, बैठक कार्यवाही विवरण इत्यादि से संबंधित ग्राम पंचायत से अभिलेख मंगवाया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सोमेसर ने पत्रांक ग्रापसो/2023–24/29 व 28 दिनांक 20.05.2023 से जवाब पेश कर कथन किया है कि अणसी देवी व नखताराम के पक्ष में पट्टा संख्या 26 व 29 ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त पट्टों से संबंधित मिसल संख्या 156 व 159 ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है तथा पट्टा जारी करने से संबंधित कोई बैठक रजिस्टर ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त अभिलेख माननीय न्यायालय में पेश करना संभव नहीं है।

6. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया है कि प्रार्थी का नाम सोमेसर में पुश्तैनी 40–50 वर्षों से कब्जासुदा प्लॉट आबादी क्षेत्र में आया हुआ है, जिसके चारों ओर बाड व पट्टियां रोपी हुई है तथा उसमें पडवा बना हुआ है। ग्राम पंचायत सोमेसर के पूर्व सरपंच आवडदान ने अप्रार्थी नखताराम व अणसी देवी के पक्ष में मिलीभगत से भूमि हडपने की नियत से षडयंत्र रचकर पट्टा दिनांक 28.12.2010 का मिसल संख्या 156 व 159 से पट्टा संख्या कमशः 26 व 29 जारी कर दिया है। पट्टे पर ग्राम सेवक के फर्जी हस्ताक्षर किये है। सीलें भी फर्जी है। उक्त भूखण्ड पर नखताराम व अणसी देवी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पट्टे जारी करने बाबत ग्राम पंचायत में कोई बैठक कार्यवाही नहीं की गई है। आवडदान ने लाखों रूपये रिश्वत लेकर फर्जी पट्टे जारी किये है, जिस बाबत पुलिस थाना शेरगढ में मु.नं. 335/2022 दिनांक 03.12.2022 को दर्ज हुआ है। पट्टे जारी करने का कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इसकी जांच विकास अधिकारी, पं.स. शेरगढ द्वारा की गई है, जिसमें ग्राम सेवक व सचिवों ने अपने बयानों में पट्टे जारी करने से इंकार किया है तथा फर्जी पट्टों का कोई रिकॉर्ड, बिल बुक, रसीद बुक, पंचायत पुस्तिकाएं व राशि जमा करवाने का रिकॉर्ड भी नहीं है। इस संबंध में निगरानी संख्या 38/2020 [illegible] बनाम गुड्डी कंवर, 20/2021 झूमरराम बनाम माधुदान का निर्णय दिनांक [illegible].2022 व 09.11.2022 कमशः हो चुका है तथा पट्टे निरस्त किये गये है। ये प्रकरण भी समान प्रकृति के है। ये पट्टे भी फर्जी है। दोनों पट्टे 40 गुणा 3[illegible] फीट तथा 40 गुणा 35 फीट के है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जिसके पडौस भी झूठे है। ग्राम पंचायत को इतने बडे भूखण्ड का पट्टा जारी का नियम 157(1) में कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत ने नियमों की अनदेखी करके नियमन किया है, जबकि भूखण्ड पर प्रार्थी का ही कब्जा है। अप्रार्थीगण को कब्जे के अभाव में नियमन नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी करते समय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की पालना नहीं की है। नियमन से पूर्व मौका निरीक्षण करना, कब्जे की जांच करना, सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करना जरूरी है, परंतु कानूनी कायदों की अनदेखी कर दोनों को 155.5 व 155.5 वर्गगज का पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत को खाली भूखण्ड जरिये निलामी बेचना चाहिए था। प्रार्थीगण को इन फर्जी पट्टों की जानकारी दिनांक 13.11.2022 को अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा करने की कोशिश करने पर हुई है। जानकारी के पश्चात् ये निगरानी पेश की है, जिसे स्वीकार कर पट्टे निरस्त किये जावे। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई है, उसे प्रमाणित प्रतियां पेश करने से छूट दी जावे।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

8. प्रार्थी निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि इन पट्टों से संबंधित अभिलेख ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ये दोनों पट्टे फर्जी है। दिनांक 05.05.2010 को दर्ज बताई मिसल ग्राम पंचायत में नहीं है। इस बारे में दिनांक 01.09.2014 को विकास अधिकारी ने जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें पट्टों को फर्जी बताया है तथा पट्टा जारी करने की अवधि में कार्यरत ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत सोमेसर श्री गणेश कुमार ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके कार्यकाल में ये पट्टे दिनांक 28.12.2010 को जारी नहीं हुए है। इस बारे में पुलिस थाना में मुकदमा भी हुआ है। तत्कालीन सरपंच आवडदान ने कई फर्जी पट्टे जारी किये है, जिसमें कुछ पट्टे निगरानियों के जरिये निरस्त भी हुए है। विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी नखताराम व अणसी देवी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। नियमों की पूर्णरूप से अवहेलना की गई है। अतः निगरानियां स्वीकार की जाकर विवादित दोनों पटटा संख्या 26 व 29 दिनांक 28.12.2010 को निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

9. अप्रार्थीगण नखताराम व अणसी देवी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज प्रजापत ने दोनों प्रकरणों में लिखित बहस पेश कर उसमें अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पट्टा दिनांक 28.12.2010 को जारी हुआ है परंतु 13 वर्ष

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

बाद निगरानी पेश की है, जो म्याद बाहर है। अप्रार्थीगण गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। ग्राम पंचायत ने सही पट्टा दिया है। विकास अधिकारी की रिपोर्ट को देखा जावे, जिसमें तेजाराम के बयान पट्टा जारी होने के बाद का है। गणेश कुमार ने पट्टो पर हस्ताक्षर फर्जी बताया है, परंतु उसने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। ललित नागौरी का कार्यकाल बाद का है। अतः उसके बयानों का कोई औचित्य नहीं है। अपील मीमों में जिस मुकदमें का जिक्र किया है, वह प्राईवेट व्यक्ति द्वारा दायर किया है, जिसका इन पट्टो से कोई संबंध नहीं है।

श्री प्रजापत का यह भी कहना है कि दिनांक 28.12.2019 को इन पट्टों का नवीनीकरण किया गया है तथा उनका पंजीयन भी हुआ है। अगर पट्टे फर्जी थे, तो नवीनीकरण कैसे हो सकता है तथा दोषियों के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही की गई? सिर्फ गरीब व्यक्ति को 15 वर्ष बाद परेशान किया जा रहा है। यदि पट्टा वैद्य पाया जाता है तो निगरानी खारिज हो तथा पट्टा अवैध है तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही हो।

श्री प्रजापत ने नखताराम के नाम जारी पट्टा संख्या 26 बाबत ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की फोटो प्रति व पट्टा संख्या 26 का नवीनीकरण पश्चात् पंजीयन दस्तावेज की फोटो प्रति पेश की।

10. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, लिखित बहस, उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा प्रकरण से संबंधित कानूनी प्रावधानों का अध्ययन किया।

a) प्रार्थी मोहनराम ने अप्रार्थी नखताराम के पक्ष में ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा दिनांक 28.12.2010 को जारी पट्टा संख्या 26, नाप 155.5 वर्गगज तथा नखताराम की पत्नी अणसी देवी के नाम जारी पट्टा संख्या 29 दिनांक 28.12.2010 नाप 155.5 वर्गगज को निरस्त करने हेतु ये निगरानियां दिनांक 16.01.2023 को पेश की हैं। उक्त दोनों निगरानियों में पट्टा सं. 26 व 29 की फोटोप्रति पेश की गई है तथा मूल रिकॉर्ड के अभाव में इन्ही के आधार पर कार्यवाही की प्रार्थना की है।

b) इस न्यायालय ने पत्रांक 12.04.2023 से इन पट्टों से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने हेतु ग्राम पंचायत सोमेसर को निर्देशित किया था, जिसके प्रत्युत्तर में ग्राम पंचायत ने पत्रांक 28 व 29 दिनांक [illegible].05.2023 से सूचित किया कि इन पट्टो बाबत ग्राम पंचायत में मिसल सं. 156 व 159, पट्टा सं. 26 व 29 दिनांक 28.12.2010 तथा इनसे संबंधित बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

c) पत्रावली पर उपलब्ध पंचायत समिति शेरगढ का पत्रांक 45 दिनांक 01.09.2014, जो जिला परिषद जोधपुर को प्रेषित है, के अनुसार ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा वर्ष 2007 से 20.03.2012 तक कोई पट्टा जारी नहीं किया है। इस रिपोर्ट के संलग्न बयान श्री तेजाराम वैष्णव, ग्राम सेवक, गणेश कुमार, ग्राम सेवक, ललित नागौरी, ग्राम सेवक से विकास अधिकारी ने उक्त निष्कर्ष निकाला है। गणेश कुमार ने बयान किया है कि वर्ष 2007 से 2013 तक मेरे कार्यकाल में ग्राम पंचायत सोमेसर में पट्टा जारी होना पाया जाता है तो वह फर्जी है तथा मैने खाली पट्टा बही तेजाराम वैष्णव को चार्ज में दी थी, परंतु उक्त अवधि में उसने कोई पट्टा जारी नहीं किया है। श्री तेजाराम ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 11.02.2011 से 20.03.2012 तक ग्राम सेवक सोमेसर था, उस दौरान उसने कोई पट्टा जारी नहीं किया है।

d) उपर्युक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आक्षेपित पट्टा संख्या 26 व 29 दिनांक 28.12.2010 को ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टों से संबंधित कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत सोमेसर में उपलब्ध नहीं है। नियमानुसार पट्टा तीन प्रतियों में जारी होता है तथा उसकी एक प्रति पंचायत समिति में रिकॉर्ड संधारण हेतु रखना कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकार न तो ग्राम पंचायत में इन पट्टों का कोई अभिलेख यथा मिसल संख्या 156 व 159 सन् 2010, पट्टा प्रति संख्या 26 व 29, कार्यवाही विवरण दिनांक 28.12.2010 या पूर्व का, में पारित संकल्प संख्या 9, जमा की गई राशि का विवरण तथा रियायती शुल्क रू. 200/—या 100/— जमा होने का सबूत उपलब्ध है तथा न ही पंचायत समिति शेरगढ में उक्त पट्टों की प्रतियां उपलब्ध है तथा न ही अप्रार्थीगण ने उक्त अभिलेखों की प्रतियां पेश की है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हस्तगत आक्षेपित पट्टा सं. 26 व 29 फर्जी है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। उक्त पट्टों का दिनांक 28.12.2019 को नवीनीकरण होना अप्रार्थीगण ने कथन किया है, परंतु ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा उक्त दोनों पट्टों के नवीनीकरण से संबंधित की गई कार्यवाही का रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया है तथा न ही अप्रार्थीगण ने पेश किया है। अप्रार्थीगण द्वारा पट्टा की [illegible] पेश की है, जिस पर दिनांक 28.12.2010 को पट्टा जारी करते [illegible] सरपंच आवड़दान के हस्ताक्षर है। सरपंच व ग्राम सेवक के हस्ताक्षर जरूर [illegible] परंतु यह अमान्य है क्योंकि नवीनीकरण करने की [illegible] पंचायतीराज नियम 1996 में प्रकिया निर्धारित की है तथा ग्राम पंचायत की कार्यवाही में प्रस्ताव पारित करके,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: Self Attested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

शुल्क वसूल करने के पश्चात् ही पट्टा नवीनीकरण किया जाता है तथा आवडदान द्वारा ही नवीनीकरण किया है, जो संदेहास्पद है। अप्रार्थीगण के उक्त पट्टों का पंजीकरण होना बताया है। चूंकि मूल फर्जी पट्टा अप्रार्थीगण के पास ही है तथा अमान्य नवीनीकरण करवाकर उप पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण करवा लिया होगा, क्योंकि सरपंच व ग्राम सेवक को पंजीयन हेतु उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होने से कानूनी छूट दी हुई है। अतः मात्र पंजीकरण करने मात्र से अप्रार्थीगण को अवैध पट्टों की मिल्कियत में किसी प्रकार के हक प्राप्त नहीं हो सकते।

e) इस संबंध में यहां उल्लेख करना समीचीन होगा कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के तहत प्रारूप 23 क में तथा नियम 157(2) के तहत प्रारूप 23 ख में पट्टा जारी किया जाता है। नियम 157 (1) के तहत पुराने निर्मित मकानों के नियमितीकरण बाबत 50 वर्षों से अधिक पुराने घरों बाबत, 1996 के प्रारंभ की तारीख से पिछले 50 वर्षों के दौरान संनिर्मित मकानों बाबत कमश 100/–रूपये व 200/– रूपये फीस लेकर उक्त 1996 के नियमों के नियम 145 से 157 तक में विहित प्रकिया अपनाते हुए जारी किये जाते है। जिसमें कम से कम 3 (तीन) संकल्प ग्राम पंचायत पारित करती है। प्रार्थी से आवेदन प्राप्त करना, फीस जमा करना, मौका निरीक्षण रिपोर्ट हेतु कमेटी का गठन, कमेटी की रिपोर्ट, उसके बाद कम से कम एक माह की अवधि का नोटिस जारी कर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित कर उनका निस्तारण करने के बाद ही निर्धारित शुल्क की राशि वसूल करके पट्टा जारी किया जा सकता है। पट्टे पर ग्राम सेवक व सरपंच दोनों के हस्ताक्षर होना आज्ञात्मक है। परंतु ऐसा कोई अभिलेख ग्राम पंचायत सोमेसर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। परंतु निगरानीधीन पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के अंतर्गत (दिनांक 09.04.2007 से प्रभावी), प्रारूप 23 ख (नियम 157(2)) में जारी किया गया है। नियम 157(2) इस प्रकार है:–

नियम–157(1)..............................

"(2) Families who do not have any house or house site anywhere and are in possession of abadi land by way of construction of a hutment/Kacha house up to year 2003, shall be entitled for regularisation of possession up to 300 yards free of cost.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

The Patta of such land shall be issued in form B in the name of woman head of such family."

उपर्युक्त विधिक स्थिति से स्पष्ट है कि नियम 157 (2) के तहत सिर्फ उन्ही परिवारों को आवासीय पट्टा जारी किया जा सकता है, जिनके पास कहीं पर भी आवासीय स्थल या कच्चा/पक्का मकान नहीं है तथा 2003 से पूर्व का आबादी भूमि में कब्जा है तथा पट्टा भी सिर्फ परिवार की महिला मुखिया के नाम ही जारी हो सकता है। परन्तु उक्तानुसार आवश्यक शर्तों की पूर्ति होने बाबत कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है तथा न ही अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय में पेश किया है तथा पट्टा संख्या 26 नखताराम के नाम जारी है, जो पुरूष है अर्थात् नियम 157(2) के तहत पूर्णरूप से अयोग्य है।

f) इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चयों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया जाकर मार्गदर्शन प्राप्त किया:-

I. S.B.C.W.P. No. 8612/2008 (निर्णय दिनांक 23.10.2008) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में निर्णित किया है कि अगर ग्राम पंचायत में पट्टे जारी करने से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो पट्टे जारी करने की पूरी प्रकिया ही अवैद्य है तथा पट्टे खारिज योग्य है।

II. S.B.C.W.P. No. 9126/2016 (निर्णय दिनांक 12.08.2016) में निर्णित किया कि रिकॉर्ड के अभाव में पट्टे की वैद्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता। 2016(4) डीएनजे (राज.), 1799

III. S.B.C.W.P. No. 8148/2012 शान्तिदेवी बनाम स्टेट (निर्णय दिनांक 25.11.2016) में ग्राम सेवक व विकास अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से कथनों के आधार पर पट्टा निरस्त करना न्यायोचित माना गया है तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत जारी पट्टे निरस्त करने योग्य माना है तथा नागरमल बनाम अतिरिक्त कलक्टर, सीकर-2013(1) डब्ल्यूएलसी (राज) 768 पैरा 6 को सही माना है।

IV. S.B.C.W.P. No. 8211/2012 (निर्णय दिनांक 03.02.2022) (लोकेश बनाम पंचायत समिति भदेसर) में अभिनिर्धारित किया कि पर्याप्त अवसर देने पर भी अगर अभिलेख पेश नहीं किया जाता है तो न्यायालय संतुष्टि हेतु अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

V. निम्न न्यायिक निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि अवैध रूप से जारी पट्टो का निरस्तीकरण करने में, अवैध पट्टों का पंजीकरण पूर्व में निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं हैः–

A. घेवरचंद बनाम राजस्थान राज्य आरजेटी 2017 (3) पेज–1995

B. नागरमल बनाम अति. कलक्टर सीकर 2013 (1)डब्ल्यूएलसी (राज)–768 पैरा 6

C. नगर परिषद पाली बनाम दीनदयाल डीबी सिविल स्पेशल अपील रिट नं. 485/2013 निर्णय दिनांक 16.07.2015, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

D. झूमरलाल बनाम अति. कलक्टर–द्वितीय, जोधपुर D.B.C. SAW No. 656/2017 निर्णय दिनांक 15.12.2017, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

E. कमला देवी बनाम स्टेट D.B.C. SAW No. 136/2017 निर्णय दिनांक 27.03.2017

F. मिश्रीमल बनाम स्टेट S.B.C.W.P. No. 5206/2016 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निर्णय दिनांक 21.09.2016

उक्त विधिक स्थिति अनुसार निगरानीधीन पट्टे पंजीबद्ध होने के बावजूद भी धारा–97 के तहत प्रस्तुत निगरानी में अवैद्य पाए जाने के फलस्वरूप खारिज योग्य है।

G. ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा दिनांक 28.12.2010 को ही जारी बताए निम्न विवरण की निगरानियों से पट्टे निरस्त किये जा चुके हैः–

I. निगरानी सं. 38/2020 मोती सिंह बनाम गुड्डी कंवर नि.दि. 25.07.22
II. निगरानी सं. 20/2021 झूमरराम बनाम माधुदान नि.दि. 09.11.22
III. निगरानी सं. 22/2024 जेठमल बनाम जेठमल नि.दि. 11.03.25
IV. निगरानी सं. 23/2024 जेठमल बनाम अशोक कुमार नि.दि. 11.03.25
V. निगरानी सं. 11/2024 कंवराज सिंह बनाम अध्यक्ष, बाबा रामदेव सेवा समिति नि.दि. 11.12.24

उक्त प्रकरणों में भी पट्टे जारी करने का रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं था तथा हस्तगत प्रकरण भी दिनांक 28.12.2010 को जारी पट्टो से संबंधित है।

H. प्रार्थी निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र [illegible] के अभिवचनों में इतने बडे भूखण्ड को पंचायत समिति के बिना [illegible] को नियम 141 के तहत निलामी प्रकिया अपनाते हुए निस्तारण करने का कथन किया है। अतः प्रार्थी का भी पुराना कब्जा साबित [illegible] है। प्रकरण संख्या 2024/22

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(05/2024) (अप्रार्थी नखताराम) की ओर से फार्म संख्या 3 में ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी बिना कमांक व बिना दिनांक अंकित किये हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की है, जिस पर चार दुकाने निर्मित होने के फोटोग्राफ भी है। इस पत्र में भूखण्ड के जो पडौस दिखाए है, वे नखताराम को जारी विवादित पट्टा सं. 26 में अंकित पडौसों से मेल नहीं खाते है। इस पत्र में पडौस इस प्रकार दर्शाए हैः–

उत्तर में–पप्पाराम का मकान

दक्षिण में– बाबूलाल का मकान

पूर्व में– आम रास्ता डामर सडक

पश्चिम में– नखताराम का प्लॉट

पट्टा संख्या 26 में दर्शाए–पडौस इस प्रकार हैः–

उत्तर में– सोमेसर–किशोर नगर सडक

दक्षिण में– अणसी देवी

पूर्व में– गली

पश्चिम में– पप्पूराम

इस प्रकार पट्टे में दर्ज पडौस व अनापत्ति प्रमाण पत्र में अंकित पडौस बिल्कुल ही भिन्न है। पट्टे में उत्तर में सडक दर्शायी है जबकि एनओसी में उत्तर में पप्पाराम का मकान बताया है। पट्टे में दक्षिण में अणसी देवी दर्शाया है जबकि एनओसी में दक्षिण में बाबूलाल का मकान बताया है। पट्टे में पश्चिम में पपूराम बताया है, तो एनओसी में नखताराम बताया है। यह एनओसी पट्टे में दर्शायी भूमि की नहीं है तथा ग्राम पंचायत से जारी नहीं हुई है। इस पर न तो जावक नंबर अंकित है तथा न ही तिथि अंकित है। अतः इस दस्तावेज के आधार पर विवादित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाना नहीं माना जा सकता तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम ही नहीं थी।

I. प्रार्थी ने विवादित भूखण्ड पर अपना पुराना कब्जा होना कथित किया है परंतु इस संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत हमारे समक्ष पेश नहीं किये है तथा न ही ग्राम पंचायत के समक्ष इस भूखण्ड के नियमन हेतु प्रस्तुत (अगर किये हो तो) दस्तावेजों को पेश किया है तथा प्रार्थी भूखण्ड को नियम 141 के तहत नियमन करने का सुझाव दे रहा है। अतः ग्राम पंचायत इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही अपने स्तर पर करने हेतु स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

J. अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित बहस में तर्क दिया है कि फर्जी पट्टे जारी करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा फर्जी पट्टे का नवीनीकरण क्यों किया गया? हमारे समक्ष निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा सं. 26 व 29 की वैद्यता की जांच करने बाबत ही प्रकरण है। जिसका परीक्षण करने पर पाया गया कि विवादित पट्टा सं. 26 व 29 का अभिलेख ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में उपलब्ध नहीं है तथा तत्कालीन ग्राम सेवकों ने उक्त पट्टे जारी करने से इन्कार किया है तथा रिकॉर्ड के अभाव में पट्टों की वैद्यता जांच करना संभव नहीं है। परंतु रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के आधार पर ऋणात्मक उपधारणा की जा सकती है कि विधिक प्रक्रिया से पट्टे जारी नहीं हुए है।

K. अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि

i. ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा दिनांक 05.05.2010 को अप्रार्थी नखताराम के नाम मिसल संख्या 156 कायम ही नहीं की है तथा पट्टा संख्या 26 बुक संख्या 48 दिनांक 28.12.2010 जारी करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.05.2010 से 28.12.2010 तक बिना किसी संकल्प पारित किये तथा विधिक प्रकिया अपनाए बिना केवल सरपंच ने अपने स्तर से यह पट्टा जारी किया है जो अपास्त योग्य है। पट्टे से संबंधित रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में नहीं है।

ii. इसी प्रकार दिनांक 05.05.2010 को मिसल संख्या 159 कायम किये बिना ही दिनांक 28.12.2010 को अप्रार्थी अणसी देवी के नाम पट्टा संख्या 29 बुक संख्या 42 जारी किया है जिसमें दिनांक 05.05.2010 से 28.12.2010 तक ग्राम पंचायत में संकल्प पारित किये बिना ही तथा विधिक प्रकिया अपनाए बिना ही सरपंच ने अपने स्तर से यह पट्टा जारी किया है जो खारिज योग्य है। जिसका कोई रिकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

11. फलस्वरूप ये दोनों निगरानियां स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा

A. ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 26, मिसल संख्या 156, दायरा दिनांक 05.05.2010, बुक नं. 48, नाप 155.5 वर्ग गज, संकल्प संख्या 09 बहक श्री नखताराम पुत्र रेवंतराम [illegible] किया जाता है तथा उप पंजीयक शेरगढ के कार्यालय में [illegible] दस्तावेज (बेचान) संख्या–202003083[illegible] पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 175, पृष्ठ 86, अतिरिक्त पुस्तक संख्या [illegible] जिल्द 347 पृष्ठ 197 से 203 तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 14:41:16 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पर उपलब्ध दस्तावेज की प्रति पर पट्टा सं. 26 के निरस्तीकरण का नोट लगाने हेतु निर्णय की प्रति भेजी जावे।

B. इसी प्रकार ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 29, मिसल संख्या 159, दायरा दिनांक 05.05.2010, बुक नं. 42, नाप 155.5 वर्ग गज, संकल्प संख्या 09 बहक अणसी देवी पत्नी नखताराम को खारिज किया जाता है तथा उप पंजीयक शेरगढ के कार्यालय में पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज संख्या–202003083100244 दिनांक 21.05.2020, पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 175, पृष्ठ 89, अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द 347 पृष्ठ 218 से 224 तक पर उपलब्ध दस्तावेज की प्रति पर पट्टा सं. 29 के निरस्तीकरण का नोट लगाने हेतु निर्णय की प्रति भेजी जावे।

12. निर्णय की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर, विकास अधिकारी, पं.स. शेरगढ व ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोमेसर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। वे उप पंजीयक शेरगढ के कार्यालय से ग्राम पंचायत सोमेसर द्वारा जारी जिन पट्टों का पंजीयन हुआ है, उनकी प्रतियां प्राप्त कर, पंचायत रिकॉर्ड से जांच करे तथा अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही अविलंब करावे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.05.22 11:41:16 IST
Reason: SelfAttested